न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरविन्द कुमार पोसवाल, आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

नामान्तरण अपीलः 05/2019

दायर दिनांकः 07.02.2019

निर्णय दिनांक 19.09.2019

—:अनवानः—

1. माणिक भाई पिता श्री चम्पालाल जाति ओड, आयु वयस्क निवासी दोवास, ग्राम पंचायत ओडा, तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द हाल निवासी 680 ओडवास लक्ष्मीनगर नर्सरी मोटेरा अहमदाबाद (गुजरात)
2. दिनेश पिता श्री चम्पालाल जाति ओड, आयु वयस्क निवासी दोवास, ग्राम पंचायत ओडा, तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द हाल निवासी 680 ओडवास लक्ष्मीनगर नर्सरी मोटेरा अहमदाबाद (गुजरात)
3. अमर पिता श्री चम्पालाल जाति ओड, आयु वयस्क निवासी दोवास, ग्राम पंचायत ओडा, तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द हाल निवासी 680 ओडवास लक्ष्मीनगर नर्सरी मोटेरा अहमदाबाद (गुजरात)
4. श्रीमती शान्ता पत्नी श्री चम्पालाल जाति ओड, आयु वयस्क निवासी दोवास, ग्राम पंचायत ओडा, तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द हाल निवासी 680 ओडवास लक्ष्मीनगर नर्सरी मोटेरा अहमदाबाद (गुजरात)
5. श्रीमती मंजु पुत्री श्री चम्पालाल पत्नी, ओखाराम जाति ओड, आयु वयस्क निवासी दोवास, ग्राम पंचायत ओडा, तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द हाल निवासी रेबारियो का गोलिया सांचोर जिला जालोर
6. श्रीमती खेमी पुत्री श्री चम्पालाल, पत्नी मंगलसिंह जाति ओड, आयु वयस्क निवासी दोवास, ग्राम पंचायत ओडा, तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द हाल निवासी गउ घाट मण्डोर, जोधपुर जिला जोधपुर
7. श्रीमती पुष्पा पुत्री श्री चम्पालाल, पत्नी जितेन्द्र जाति ओड, आयु वयस्क निवासी दोवास, ग्राम पंचायत ओडा, तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द हाल निवासी गउ घाट मण्डोर, जोधपुर जिला जोधपुर

———अपीलांट

—:बनामः—

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, कुम्भलगढ
2. सुरेश पिता देवा जाति ओड आयु वयस्क निवासी दोवास ग्राम पंचायत ओडा तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द

———रेस्पोडेण्टगण

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 934 स्वीकृत दिनांक 09.01.2002 पारित द्वारा तहसीलदार, कुम्भलगढ से व्यथित होकर

उपस्थितः—

1— श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता अपीलांट
2— श्री कैलाश बोल्या राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01
3— रेस्पोडेण्ट संख्या 02 अनुपस्थित

—::निर्णय::—

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, कुम्भलगढ द्वारा राजस्व ग्राम दोवास, पटवार हल्का ओड़ा, तहसील कुम्भलगढ में आराजी नं0

1753,1762, 1766, 1767, 1772, 1773, 1774, 1777, 1778, 1784, 1786, 1800, 1801, 1803, 1805, 1810/2, 1811, 1812/2, 181322, 1818, 182222, 1828, 1826, 1833, 1836, 1837, 1841, 1845, 1847, 1851, 1852, 1854, 1855, 1858, 1859, 1862, 1863, 1866, 1867, 1869, 1874 से लगायत 1880, 1885, 1886, 1891, 1892, 1899, व 1946 कुल किता–54 कुल रकबा 16 बीघा 04 बिश्वा तथा आराजी नं0 1804 रकबा 03 बिश्वा 10 बिश्वांसी तथा आराजी नं0 1779, 1823, 1838, 1839, 1846, 1848, 1881, व 1900 कुल किता–08 कुल रकबा 19 बीघा 08 बिश्वा 10 बिश्वांसी एवं आराजी नं0 2841/1948 रकबा 10 बीघा तथा आराजी नं0 1799, 1802 कुल किता–02 कुल रकबा 01 बीघा एवं आराजी नं0 1671 रकबा 08 बिश्वा 10 बिश्वांसी भूमि स्थित है। जो अपीलांट के पिता/पति चम्पालाल पिता खेताजी के नाम पर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज थी, जिनका स्वर्गवास दिनांक 28.12.1995 को हो चुका है। चम्पालाल का स्वर्गवास बिसन पेट्रोल पम्प के पास साबरमती अहमदाबाद मे हुआ था। तत्कालीन समय मे वह अहमदाबाद मे ही निवास करते थे चम्पालाल पिता खेताजी के विरासत के आधार पर उपरोक्त नामान्तरण फैसल किया गया जो रेस्पोडेन्ट संख्या 02 को चम्पालाल का वारिस बताते हुए फैसल किया गया। जबकि अपीलांट चम्पालाल पिता खेताजी के विधिक वारिसान उत्तराधिकारी होकर पुत्र/पुत्री/पत्नी है। जो प्रथम अनुसूची के वारिस हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत होते हुए भी उक्त नामान्तरण रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के पक्ष मे फैसल किया है। जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की है। अपील के साथ धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। धारा 5 अवधि अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि अपीलांट को उक्त नामान्तरण फैसल होने की कोई जानकारी नहीं थी। जानकारी होते ही जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त अवधि को न्यायहित में कन्डोन फरमाया जाकर अपील को अवधि में शुमार करवाया जाने का आदेश फरमाया जावें।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्टगण को तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थिति दी। रेस्पोडेन्टगण संख्या 02 अनुपस्थित।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण सन्तोषप्रद प्रतीत होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर अपील को अवधि मे शुमार किया जाता है।

अधिवक्ता अपीलांट व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने अपील मीमों मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि राजस्व ग्राम दोवास, पटवार हल्का ओड़ा, तहसील कुम्भलगढ में आराजी नं0 1753,1762, 1766, 1767, 1772, 1773, 1774, 1777, 1778, 1784, 1786, 1800, 1801, 1803, 1805, 1810/2, 1811, 1812/2, 181322, 1818, 182222, 1828, 1826, 1833, 1836, 1837, 1841, 1845, 1847, 1851, 1852, 1854, 1855, 1858, 1859, 1862, 1863, 1866, 1867, 1869, 1874 से लगायत 1880, 1885, 1886, 1891, 1892, 1899, व 1946 कुल किता–54 कुल रकबा 16 बीघा 04 बिश्वा तथा आराजी नं0 1804 रकबा 03 बिश्वा 10 बिश्वांसी तथा आराजी नं0 1779, 1823, 1838, 1839, 1846, 1848, 1881, व 1900 कुल किता–08 कुल रकबा 19 बीघा 08 बिश्वा 10 बिश्वांसी एवं आराजी नं0 2841/1948 रकबा 10 बीघा तथा आराजी नं0 1799, 1802 कुल किता–02 कुल रकबा 01 बीघा एवं आराजी नं0 1671 रकबा 08 बिश्वा 10 बिश्वांसी भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि जो राजस्व रेकार्ड में अपीलांट के पिता/पति चम्पालाल के नाम पर संयुक्त खातेदारी के रूप में अंकित थी जिसका नामान्तरण अपीलांट के नाम पर संयुक्त रूप से दर्ज न कर रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के नाम पर दर्ज कर दिया और उस आधार पर जो नामान्तरण फैसल किया गया है। वह अवैध एवं विधि विरूद्ध है । अपीलांट ने चम्पालाल के वारिस होने से संबंध में ग्राम पंचायत ओडा जारी वारिस प्रमाण पत्र की प्रति पेश की है तथा चम्पालाल की मृत्यु होने का अहमदाबाद मुन्सीपल कॉरपोरेशन द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र अपीलार्थीगण के चम्पालाल के पुत्र/पुत्रीया एवं पत्नी होने के पहचान स्वरूप आधार कार्ड/वोटर आईडी कार्ड की प्रतियां पेश की है। जिससे यह प्रमाणित है कि अपीलार्थी ही मृतक चम्पालाल पिता खेताजी के विधिक वारिस है। अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 934 दिनांक 09.01.2002 को

अपास्त फरमाया जावें तथा उक्त भूमि मे अपीलार्थी का नाम चम्पालाल पिता खेताजी के विरासत के रूप मे चम्पालाल के विधिक वारिसान होने से अपीलार्थीगण के नाम दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार, कुम्भलगढ द्वारा पारित किया गया आक्षेपित नामान्तरण विधिनुकूल होकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलांट व राजकीय अधिवक्ता की बहस पर गहन मनन किया गया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांकः 09.01.2002 को स्वीकृत किये गये विरासत के नामान्तरण संख्या 934 को इस आधार पर चुनोति दी गयी हैं कि अपीलांट चम्पालाल पिता खेताजी के विधिक वारिसान उत्तराधिकारी होकर पुत्र/पुत्री/पत्नी है। जो प्रथम अनुसूची के वारिस हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत भूमियों में समान समान हक अधिकार है। आक्षेपित नामान्तरण संख्या 934 का अवलोकन किया गया। जिसमें चम्पालाल के नामान्तरण में केवल विरासत अंकित किया गया कोई मृत्यु प्रमाण पत्र एवं मृत्यु की दिनांक अंकित नहीं है। विरासत के सजरे मे भी केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 02 का नाम अंकित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 चम्पालाल का वारिस नहीं है न ही परिवार का सदस्य है एवं न ही नजदीक का रक्त संबंधी है। जबकि अपीलार्थी द्वारा चम्पालाल का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये है साथ ही ग्राम पंचायत ओडा द्वारा अपीलार्थीगण चम्पालाल के वारिस होने का प्रमाण पत्र प्रमाणित किया है एवं अपीलार्थी के पहचान के दस्तावेज मे भी चम्पालाल का नाम पिता/पति का नाम के रूप अंकित है। जो सभी राजकीय दस्तावेज है। जिससे यह प्रमाणित है कि उक्त अपीलार्थी चम्पालाल के विधिक वारिस है और उक्त नामान्तरण गलत रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के नाम पर दर्ज एवं स्वीकृत हुआ है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझते है।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, कुम्भलगढ द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 934 दिनांकः 09.01.2002 को निरस्त किया जाता हैं तथा प्रकरण तहसीलदार, कुम्भलगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि मृतक चम्पालाल पिता खेताजी के समस्त विधिक वारिसान की पुनः जांच की जावे एवं नये सिरे से सभी वारिसान के नाम पर नियमानुसार नामान्तरकरण फैसल किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 19.09.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)